

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 128/2023-24

दिनांक : 26.09.2023

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र कुकरेती
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती सायरा बी पत्नी श्री मोईउद्दीन,
वार्ड नं० 06, खटीमा।

परिवादी

बनाम
अधिकांसी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

विपक्षी

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती सायरा बी पत्नी श्री मोईउद्दीन का एक शिकायती पत्र दिनांक 07.08.2023 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या--KH2K206158997 (03 किलोवाट घरेलू) का आईडीएफ के आधार पर रू० 5384.00 का बिल जारी किया गया जिसका भुगतान उनके द्वारा कर दिया गया है। दिनांक 13.06.2023 को पूर्व में दिए गये बिलों को भी सम्मिलित करते हुए रू० 13955.00 का बिल जारी किया गया जिसमें रू० 11852.00 समयोजित करते हुए रू० 2063.00 बकाया का बिल जारी किया गया। जबकि उनके परिसर पर नया मीटर 23.02.2023 को लगा दिया गया था जिसमें दिनांक 30.07.2023 तक कुल 2635 यूनिट उपभोग की गयी है। उनके द्वारा दिनांक 28.03.2023 तक का बिल पूर्व में जमा किया जा चुका है। दिनांक 23.03.2023 से 28.03.2023 तक कुल 05 दिन का आईडीएफ बिल जमा मानते हुए, विभाग द्वारा जारी विद्युत बिल दिनांक 30.07.2023 निरस्त करते हुए दिनांक 01.03.2023 से दिनांक 30.07.2023 तक 05 माह का विद्युत उपभोग समान रूप से बांटते हुए संशोधित बिल जारी किया जाए। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने विद्युत बिल (रू० 16669.00) को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा

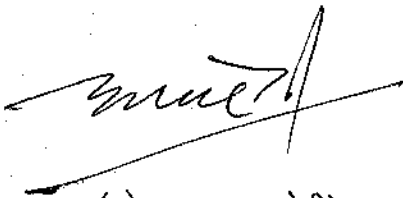
क्रमशः 2.....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 08.08.2023 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 18.08.2023 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 22.08.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 22.08.2023, 05.09.2023 व 26.09.2023 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री अम्बिका यादव, उपखण्ड अधिकारी के तर्क सुने गए।

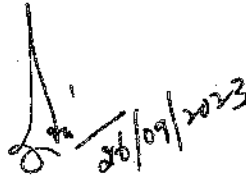
विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-814 दिनांक 20.09.2023 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी का विद्युत मापक खराब होने के उपरान्त विद्युत प्रयोगशाला सितारगंज द्वारा दिनांक 28.03.2023 को उसके परिसर पर नया विद्युत मापक स्थापित कर दिया गया था। परिवादिनी का विद्युत बीजक परिसर पर स्थापित विद्युत मापक के पाठ्यांक के आधार पर मैनुअली संशोधित कर रू0 19778.19 का बना दिया गया है। वर्तमान समय में परिवादिनी को विद्युत मापक के पाठ्यांक के आधार पर बिल निर्गत किए जा रहे हैं। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

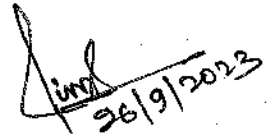
परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।



(रमेश चन्द्र कुकरेती)
न्यायिक सदस्य



(नवीन चन्द्र तिवारी)
तकनीकी सदस्य



(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य